Not Proceed	8/8/18	पत्रावली पेश हुई। वादिनी श्रीमती उषा। अभिभाषक श्री वकील शर्मा द्वारा मुकदमा का नोटबुक में दाखिल करवाया जा चुका है। अब इस प्रकिया-पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मुकदमा नोट-बुक में दाखिल होने पर धारा 126/1 दाखिल किया जाता है। मामले को फैसल शुमार किया जाकर नस्ती है बाद है। सहायक कलक्टर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner